रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एम० एम०/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 30 मार्च, 1996/10 चैत्र, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

आदेश

शिमला-2, 14 मार्च, 1996

संख्या पी० वी० डब्ल्यू० (वी० एण्ड आर०) (बी) 3 (6) 6/93.—मैसर्ज के० के० रोपवेज लिमिटिड, चम्बाघाट, जिला सोलन (हि० प्र०) ने सोलन (चम्बाघाट) से करोल, जिला सोलन (हि० प्र०) में यात्री आकाशी रज्जु मार्ग का निर्माण करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया था;

और राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का 7) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित आकाशी रज्जु मार्ग के सम्बन्ध में सभी

924-राजपत्र/96-30-3-96—1,225. (1511) मूल्य : 1 रुपया।

हितबद्ध व्यक्तियों से तारीख 22-2-96 के राजपत्र (हि० प्र०) में प्रकाशित इस प्रकार की समसंख्यक सूचना तारीख 26 दिसम्बर, 1995 द्वारा इस सूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित किए थे ;

और राज्य सरकार द्वारा उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ । अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का 7) की धारा 7 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्ज के० के० रोपवेज लिमिटिड चम्बाघाट, जिला सोलन (हि० प्र०) संप्रवर्तक की निम्नलिखित निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए सोलन (चम्बाघाट) से करौल, जिला सोलन (हि० प्र०) में आकाशी रज्जु मार्ग का निर्माण करने के लिए प्राधिकृत करते हैं :—

(1) संप्रवर्तक हिमाचल प्रदेश रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 की धारा 7 के अधीन अन्तिम आदेश जिसे इसमें इसके पश्चात् "आदेश" कहा गया है के प्रकाशन के एक वर्ष के भीतर पूंजी जुटाएगा ;

(2) रज्जु मार्ग के प्रतिष्ठान से सम्बन्धित सिविल कार्य, संयन्त्र और मशीनरी का कार्य अन्तिम आदेश के प्रकाशन के तुरन्त बाद शुरू किया जाएगा ;

(3) आकाशी रज्जु मार्ग का निर्माण अन्तिम आदेश के प्रकाशन के बाद 18 माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ;

(4) संप्रवर्तक ऐसी रियायतों के लिए पात्र होगा जो राज्य सरकार, द्वारा समय-समय पर दी जाए;

(5) संप्रवर्तक राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मानक परिमाप और विनिदेशों के अनुरूप आकाशी रज्जु मार्ग का निर्माण करेगा । संरचनात्मक डिजाईन निर्माण सामग्री की क्वालिटि सुरक्षा की बातें (फैक्टर) या भार की संगणना का ढंग उनके अनुरूप होंगे जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकथित किए गए है । परन्तु यदि स्थल की परिस्थिति के कारण परिमाप और विनिदेशों में कोई विचलन जिसके अन्तर्गत टावर की ऊंचाई में 1500 मीटर से अधिक परिवर्तन भी आता है, संप्रवर्तक, द्वारा यथास्थिति, रज्जु मार्ग निरीक्षक/विशेषज्ञ समिति की पूर्वानुमति से ही किया जाएगा ;

(6) संप्रवर्तक, सड़क तथा अन्य सार्वजनिक संचार साधनों के मार्गों के ऊपर से आकाशी रज्जु मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में यथा-लागू नियमों का पालन करेगा ;

(7) संप्रवर्तक उपरोक्त आकाशी रज्जु मार्ग या इसके किसी भाग को राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेचेगा, हस्तान्तरित, पट्टे या उप-पट्टे पर नहीं देगा ;

(8) संप्रवर्तक आकाशी रज्जु मार्ग के संचालन में मुख्य रूप में विद्युत शक्ति का प्रयोग इस शर्त के अधीन रहते हुए करेगा कि विद्युत के फेल होने की दशा में संप्रवर्तक आकाशी रज्जु मार्ग के संचालन के लिए डीजल जैनरेटिंग सैट हमेशा तैयार रखने का प्रबन्ध करेगा ;

(9) संप्रवर्तक विश्वस्त यंत्र, उचित संकेत व्यवस्था, उचित डिजाईन फिक्सचर और संरचना, रज्जु मशीनरी, गीयर तथा अन्य साविधत्रों की व्यवस्था करेगा । संप्रवर्तक प्रतिदिन निरीक्षण करेगा कि क्या मशीनरी साविधत्र इत्यादि ठीक हैं और इनमें उचित रूप से ग्रीस और तेल लगाया गया है ;

(10) यदि आकाशी रज्जु मार्ग रेल लाईन के ऊपर से गुजरता है, तो संप्रवर्तक रेल अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करेगा;

(11) संप्रवर्तक आयुद्ध अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत आने वाले आयुद्ध और गोला बारूद के सिवाये यात्रियों को उनके सामान सहित जैसे कि ब्रीफकेस/अटैची/सूटकेस/हैंड बैग इत्यादि को आकाशी रज्जु मार्ग से ले जाएगा ;

(12) संप्रवर्तक इस सूचना से संलग्न उपाबन्ध के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक दरें प्रभारित नहीं करेगा ;

(13) संप्रवर्तक, आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारन्टी के रूप में 3,00,000/–रुपये (तीन लाख) की प्रतिभूति सचिव (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम पर देगा। किसी शर्त के भंग की दशा में राज्य सरकार उसे समपहृत करने के लिए स्वतन्त्र होगी। प्रतिभूति के संग्रहण का आदेश देने से पहले सचिव (लोक निर्माण); हिमाचल प्रदेश सरकार, संप्रवर्तक को निश्चित रूप से 15 दिन के भीतर ऐसे भंग का सुधार करने के लिए कारण बताओ नोटिस देगी और यदि संप्रवर्तक सुधार करने और भंग के लिए समुचित स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार, राज्य सरकार के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा अन्तिम आदेश, जैसा यह उचित समझे दे सकेगी ;

(14) संप्रवर्तक ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे प्रारूप में जैसे राज्य सरकार समय-समय पर विहित करे पूंजी, राजस्व-व्यय, प्राप्तियों और यातायात की विवरणियां राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ;

(15) यदि संप्रवर्तक उपरोक्त विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त को भंग करता है या उपरोक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है या संप्रवर्तक उपरोक्त आकाशी रज्जु मार्ग को चलाने/संचालन करने में असफल रहता है तो राज्य सरकार आकाशी रज्जु मार्ग को सभी विल्लंघनों से मुक्त या अवक्षय मूल्य पर अधिग्रहित कर लेगी। यदि राज्य सरकार उक्त रज्जु मार्ग की अधिग्रहण करने का आशय नहीं रखती तो स्थानीय प्राधिकरण के बीच परस्पर करार पाए गए मूल्य पर इसे खरीद सकेगा ;

(16) संप्रवर्तक निरीक्षक, विशेषज्ञ समिति या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सभी युक्तियुक्त समयों पर आकाशी रज्जु मार्ग का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा ;

(17) उपरोक्त अधिनियम या उद्धधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का कोई भी उल्लंघन आदेश की शर्तों का भंग माना जाएगा ; और

(18) यदि संप्रवर्तक और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह एक मात्र माध्यस्थम अर्थात् मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा जिनका अधिनिर्णय अन्तिम और दोनों पक्षों पर बाध्य होगा। माध्यस्थम के समक्ष कार्यवाहियां माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के उपबन्धों द्वारा विनियमित की जाएंगी।

आदेश द्वारा,

पी० एस० राणा,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

उपाबन्ध–1

चम्बाघाट से (सोलन) करौल, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के बीच लगाए जाने वाले आकाशी रज्जु मार्ग द्वारा यात्रियों के वहन करने के लिए संप्रवर्तक द्वारा प्रमाणित की जा सकने वाली अधिकतम दरों की सूची :—

क्रम संख्या	विवरण	दोनों तरफ की यात्रा के लिए अधिकतम दरें (रुपये में)
1.	3 वर्ष से कम आयु के बच्चे	उन्हें छूट दी जानी है
2.	3 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे	25/–
3.	12 वर्ष से अधिक आयु के अन्य व्यक्ति	50/–

टिप्पण.—(1) संप्रवर्तक यात्रियों से हल्का सामान जैसे ब्रीफकेस, छोटे सूट केस और हाथ के बैगों आदि के लिए कोई प्रभार नहीं लेगा ।

टिप्पण.—(2) संप्रवर्तक यात्रियों के भारी सामान भण्डारण के लिए सामान गृह का प्रबन्ध करेगा और उस सम्बन्ध में उन्हें समुचित रसीद जारी करेगा ।

टिप्पण.—(3) उपरोक्त किराए की दरें दोनों तरफ की यात्रा के लिए यात्रियों से प्रभारित की जाएगी ।

———

[*Authoritative English Text of this Government Order No. PBW (B&R) (B) 3 (6) 6/93, dated 14-3-96 as required under Article 348 of the Constitution of India*].

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

ORDER

Shimla-2, the 14th March, 1996

No. PBW (B&R) (B) 3 (6) 6/93.—Whereas M/s K. K. Ropeways Ltd., Chambaghat, District Solan, Himachal Pradesh had applied for permission to construct a passenger aerial repeway from Solan (Chambaghat) to Karol, District Solan, Himachal Pradesh.

And, whereas in exercise of the powers conferred under Sub-section 2 of section (6) of Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969), the State Government had invited the objection (s)/suggession (s) *vide* this Government notice of even No. dated 26th December, 1995, published in the Himachal Pradesh Rajptra dated 22-2-1996 in relation to the proposed aerial ropeway from all the interested persons within three weeks from the date of publication of the notice in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

And whereas no suggession (s)/objection (s) have been received by the State Government within the stipulated period.

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Act *biid*, is pleased to authorise the construction of an aerial ropeway from Solan (Chambaghat) to Karol, District Solan, Himachal Pradesh by M/s K. K.

Ropeways Ltd., Chambaghat, District Solan, Himachal Pradesh (Promoter) subject to the following restrictions and conditions:—

(*i*) that the promoter shall raise the capital within one year of the publication of the final order under section 7 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (hereinafter called the "Order") ;

(*ii*) that the construction of civil works, plant and machinery connected with the ropeway installation shall start immediately after publication of the final order ;

(*iii*) that the construction of the aerial ropeway shall be completed within a period of 18 months after the publication of final order ;

(*iv*) that the promoter shall be eligible for such concessions as may be allowed by the State Government from time to time ;

(*v*) that the promoter shall construct the aerial ropeway conforming to the standards, dimentions and specification as approved by the State Government. The structural, designs, quality of material, factor of safety, method of computing stresses shall be in conformity with those as laid down by the Bureau of Indian Standards. Provided that any deviation in the dimension and specification on account of site conditions including change in the height of the tower beyond 1500 metres, the promoter shall obtain the prior permission of the Inspector, Ropeway/Expert Committee as the case may be;

(*vi*) that the promoter shall follow the rules which are applicable in the State of Himachal Pradesh regarding construction of aerial ropeway over the roads and other public ways of communications ;

(*vii*) that the promoter shall not sell, transfer, lease or sublet the aforesaid ropeway or part thereof to any other person without the prior permission of the State Government ;

(*viii*) that-the promoter shall use electricity power as the main mode for operating the aerial ropeway subject to the condition that in case, the failure of electricity he shall always keep standby arrangements of Diesel Generating Set for the operation of aerial ropeway ;

(*ix*) that the promoter shall provide reliable devices, provisions for signalling, suitable designed fixures and structures, ropes, machinery, gear and other appliances. The promoter shall daily inspect whether the machinery appliances etc. are in order and well greased and oiled regularly ;

(*x*) that the promoter shall obtain the permission from the railway authorities in case the aerial ropeway passes over the railway line ;

(*xi*) that the promoter shall carry passengers with their luggage such as briefcase/attachee/ suitcase/handbag etc. on the aerial ropeway except arms and ammunitions as covered under Arms Act, 1959 ;

(*xii*) that the promoter shall not charge the rates higher than the rates approved by the State Government as per annexure annexed to this order ;

(*xiii*) that the promoter shall submit a security of Rs. 3.00 lacs (Three Lacs) in the shape of Bank Guarantee, from a Nationalised Bank in the name of Secretary (PW) to the Government of Himachal Pradesh for the due compliance of the conditions specified in the order. In the case of any breach of any condition, the State Government, shall be at liberty to forefeit the same. Before ordering the forefeiture of the security Secretary (PW) to the Government of Himachal Pradesh shall give show cause notice to the promoter to rectify the breach within 15 days positively and if the promoter fails to rectify and give suitable explanation for breach, the state Government may make final order as it may think fit without prejudice to the other rights of the State Government.

(*xiv*) that the promoter shall submit to the State Government such returns of capital and revenue expenditure, receipts and tarrif at such interval and in such form as may be prescribed by the State Government from time to time ;

(*xv*) that in case the promoter commits any breach of any of the conditions specified above or acts in contravention of provision of the Act *ibid* and rules framed thereunder or promoter fails to operate/run the aforesaid ropeway, the State Government may take over/resume the aerial ropeway free from all encumbrances or on such depreciated value of the aerial ropeway. In case State Government do not intend to take over the said ropeway, the local authority may purchase the same on the depreciated value or as may be mutually agreed between the local authority and the promoter ;

(*xvi*) that the promoter shall allow the Inspector/Expert Committee or their authorised representative to inspect the aerial ropeway at all reasonable times ;

(*xvii*) that the contravention of the any of the provisions of the Act *ibid* or rules framed thereunder shall be termed as a breach of condition of the order ; and

(*xviii*) that if any despute arises between the State Government and the promoter, the same shall be referred to the sole Arbitrator *i. e.* the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh whose decision shall be final and binding on both the parties. The proceedings before the Arbitrator shall be regulated by the provisions of Arbitration Act, 1940.

By order,
P. S. RANA,
F. C.-cum-*Secretary*.

ANNEXURE

Schedule of maximum rates which can be charged by the promoter for carrying passengers through the aerial ropeway to be installed between Chambaghat to Karol, District Solan (H.P.)

SCHEDULE

Sl. No.	Description	Maximum rates in Rs. for both way journey
1.	Children below the age of 3 years	They are to be exempted
2.	Children from 3 to 12 years of age	25/-
3.	Other persons over the age of 12 years	50/-

Note.—1. The promoter shall not charge any thing for the small luggage like briefcase/ small suitcase and hand bags etc. from the passengers.

Note.—2. The promoter shall provide a luggage room for storing the bigger luggage of the passengers and shall issue proper receipt to them in that respect.

Note—3. The above rates of fare shall be charged from passengers for both way journey.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।